

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी कमश्नर (क.नि.)-प्रथम, वाणज्य कर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी कमश्नर (क.नि.)-प्रथम, वाणज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री निखल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 12.09.2017 से 19.09.2017 तक श्री हिमांशु मण लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **(1)परिचयात्मक:** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक.17.12.2016 से 26.12.2016 तक श्री एन.के. सन्हा वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: -राजस्व क्षेत्र (हरिद्वार इण्ड.एरिया, Sec-10 LIF, सडकुल(निर्माता)
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ( लाख में)
2014-15	49623.30
2015-16	36382.75
2016-17	39065.66

(ii)(स) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:( लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय		अभ्यर्पित राश
	आयोजनेतर	आयोजनेतर	आयोजनेतर	आयोजनेतर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ..... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव > अपर स चव > आयुक्त कर, वा णज्य कर>अपर आयुक्त ( वशेष वेतनमान)>अपर आयुक्त > ज्वाइंट क मशनर, वा णज्य कर> डप्टी क मशनर, वा णज्य कर> सहायक आयुक्त , वा णज्य कर> वा णज्य कर अधकारी,

4. (V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में डप्टी क मशनर (क.नि.)-प्रथम, वा णज्य कर, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मशनर (क.नि.)-प्रथम, वा णज्य कर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह ..... को वस्तुतः जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग 2 (ख)**

**प्रस्तर सं0 1. आई.टी.सी रिर्वस न किये जाने से राजस्व क्षति `1.72 करोड़।**

उत्तराखण्ड मूल्य विधित कर अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाये।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)– प्रथम वाणिज्य कर, हरिद्वार के संगत वर्ष के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री स्टर लाईट टेक्नोलोजिस लिमिटेड कम्पनी क0नि0 वर्ष 2012–13 में प्रांतीय खरीद पर कुल `3,13,59,192/ का आई.टी.सी. का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में `21,98,02,766/ की पैकिंग मैटिरियल की खरीद पर ` 2,82,53,901 का I.T.C का लाभ लिया गया था।

जबकि पैकिंग मैटिरियल उत्तराखण्ड मूल्य विधित कर अधिनियम 2005 के अनुसूची –II B के क्रमांक 09 से अछादित होने के कारण उस पर 5 प्रतिशत की दर से I.T.C मिलना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा `21,98,02,766 के पैकिंग मैटिरियल के प्रांतीय खरीद पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से `1,09,90,138/ का I.T.C का लाभ मिलना चाहिए था। अतः व्यापारी द्वारा `1,72,63,762 (`2,82,53,901–`1,09,90,138) का लिया गया I.T.C रिर्वस योग्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा वूडब क्लैक्स (वुडन वक्सों) की खरीद की जाती है जिसका प्रयोग पैकिंग के लिये किया जाता है जो 13.5 प्रतिशत की दर से योग्य वस्तु है। नमूना तौर पर बिल संलग्न किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि वुडन वक्सो (Wooden Dram) जिसका प्रयोग पैकिंग के लिये होता है वह नोटिफिकेशन सं0–96 दिनांक 20.01.2015 से उत्तराखण्ड मूल्य विधित कर अधिनियम 2005 के अनुसूची–II B के क्रमांक 09 से बाहर कर दिया गया। जबकि आपत्ति किया गया वर्ष 2012–13 के होने के कारण उपरोक्त वस्तु पर 5 प्रतिशत की दर से आई.टी.सी मिलना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर सं० 2. रियायती दर पर खरीद किये गये माल से निर्मित का स्टाफ ट्रान्सफर किये जाने के बावजूद भी अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना `19.00 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(7) (e) के अनुसार यदि किसी व्यौहारी ने जिसे मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगमान करके या जैसी भी स्थिति हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो, और ऐसे कच्चे माल या प्रसंसकृत सामग्री से निर्मित माल या ऐसी संयोजन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात निर्मित माल राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रिति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा व्यौहारी स्टाफ ट्रान्सफर या इस प्रकार के संव्यवहार की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

पुनः धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार कोई भूठा या गलत घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अनतर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो आरोपणीय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) प्रथम वाणिज्य कर हरिद्वार की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ए.जी. इण्डस्ट्रीज प्र.लि. सिडकुल हरिद्वार क.नि. वर्ष 2014-15 द्वारा रियायती दर से प्रपत्र-11 से `1841886364 की खरीद की थी। जो टर्नओवर का 0.258 प्रतिशत `4752067/ से निर्मित माल का स्टाफ ट्रान्सफर किया। चूंकि व्यापारी द्वारा धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन किया था जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 4(7) (ई) के अन्तर्गत कर आरोपित किया। किन्तु धारा 58 (1) (XXIX) के अन्तर्गत `4752067 का 40 प्रतिशत `1900827/ अर्थदण्ड कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि धारा 4(7) (G) के अनुसार उन्ही तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर इस उपधारा के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, धारा 58 के अधीन कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जायेगा। अतः धारा 58 के अन्तर्गत उक्त मामले में अर्थदण्ड आरोपित नहीं हो सकता।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि धारा 4(7)(E) में यह कही उल्लेख नहीं किया गया है कि 2 प्रतिशत अर्थदण्ड है, चूंकि यह अर्थदण्ड नहीं है। इसलिये धारा 58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर सं0 3. ब्याज की धनराशि वसूल न किया जाना `1.06 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार स्वीकृत कर विलम्ब से जमा होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) प्रथम वाणिज्य कर हरिद्वार की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री सीता ट्रेडिंग कम्पनी क.नि. वर्ष 2013-14 द्वारा कर `474500/ दिनांक 22.04.2015 को चालान द्वारा जमा किया था। प्रान्तीय कर निर्धारण आदेश में `413453/ की मांग निकाली गयी उसे उक्त धनराशि में समायोजित करके अधिक जमा धनराशि `61047/ को केन्द्रीय कर निर्धारण में समायोजित करने हेतु अग्रसारित किया गया। उक्त धनराशि में केन्द्रीय कर `42,274 को भी समायोजित किया गया। अतः कुल स्वीकृत कर `4,55,727/ (प्रान्तीय एवं केन्द्रीय) पर दिनांक 01.10.2013 से 21.04.2015 तक ब्याज `1,06,373 देय है जिस पर समायोजन के समय ध्यान नहीं दिया गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा कर की धनराशि त्रैमासिक जमा किया था जबकि इसे मासिक जमा किया जाना था। अतः इस पर अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की गणना करते हुये यदि ब्याज देय होगा तो जमा करा दिया जायेगा। कर त्रैमासिक जमा करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करते हुये अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के सांन में लाया जाता है।

प्रस्तर सं० 4. अमान्य प्रपत्र सी का लाभ दिये जाने के कारण कम कर का आरोपण `0.74 लाख।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि) प्रथम वाणिज्य कर हरिद्वार की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री सच्चि प्लास्ट इण्डिया क.नि. वर्ष 2013-14 द्वारा `23,67,59,381 / की ब्रेक आयल की केन्द्रीय बिक्री की। जिसमें से `23,65,91,461 / की बिक्री हेतु प्रपत्र सी दाखिल किये गये। प्रपत्र सी की जाँच में पाया गया कि एक प्रपत्र सी सं. 12144342111016 जो कि प्रथम त्रैमास (2014-15) के लिये वैध था इस प्रपत्र सी से `590140 / की बिक्री जुलाई 2013 से अक्टूबर 2013 के संव्यवहार के लिये की गयी थी जो कि वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित था। इस प्रकार उक्त प्रपत्र सी अमान्य हो जाता है।

अतः `590140 पर अन्तरीय दर 12.5 प्रतिशत (13.5-1) की दर से `73767 / कर आरोपणीय है एवं नियमानुसार ब्याज भी देय है।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि तकनीकी त्रुटि के कारण Valid for First Quarter (2014-15) लिया प्रतीत होता है इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करते हुये अवगत करा दिया जायेगा जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

प्रस्तर सं० 5. अर्थदण्ड का अनारोपण `0.44 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10(ख) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुये कोई माल क्रय करते समय यदि यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल उसके रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के अन्तर्गत है तो धारा 10-क के अन्तर्गत यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का दोषी हो, तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र यथास्थिति उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिये सक्षम हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) प्रथम वाणिज्य कर हरिद्वार की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री ऋषि कैमिकल (प्रा०) ल०.इण्ड.ए. हरिद्वार क.नि वर्ष 2013-14 जिसका व्यापार इण्डस्ट्रीयल कम्पाउन्ड का था द्वारा दो प्रपत्र सी सं. 0156003 एव 0156004 के द्वारा बिल सं. 113 एवं 120 दिनांक 10.08.2012 एवं दिनांक 09.10.2012 के द्वारा क्रमशः `129671 एवं `87051 कुल धनराशि `216722/का कोटा स्टोन जो कि व्यापारी के व्यापार से सम्बन्धित नहीं था प्रान्त बाहर से प्रपत्र सी के विरुद्ध आयात किया था।

व्यापारी द्वारा अनधिकृत रूप से प्रपत्र सी के विरुद्ध क्रय किये जाने के कारण केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10-क सपठित धारा 10(ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड `43886/(`216722 का 13.5 प्रतिशत का 1.5 गुना) अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये धारा 10 A में कार्यवाही करने के उपरान्त अवगत कराने का आश्वासन दिया है जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।



प्रस्तर सं0 6. विलम्ब से कर जमा किये जाने के बावजूद भी अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना `0.40 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1) (vii)(ख) के अनुसार यदि कोई व्यापारी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये तक हो ओर देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि) प्रथम हरिद्वार की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री सागर के कै मकल्स भूपतवाला हरिद्वार क.नि. विर्ष 2013-14 द्वारा माह अगस्त 2013 का कर `403616/जो कि दिनांक 25.09.2013 तक जमा करना था, जो दिनांक 21.10.2013 को जमा किया गया। इस प्रकार कर की धनराशि 26 दिन विलम्ब से जमा किया गया जिसके कारण धारा 58 (1)(vii)(ख) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से `40361/अर्थदण्ड आरोपणीय जिसे आरोपित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये अर्थदण्ड की कार्यवाही के उपरान्त अवगत कराने का आश्वासन दिया है, जिसकी लेखा परीक्षा में प्रीतक्षा रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
01 /2009-10		01
12 /2011-12		03
02 /2012-13		02
31 /2014-15	01	01,02,03,04,05
03 /2015-16		01,02
31 /2016-17	01,02	01,02,03,04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-प्रथम, वाणज्य कर, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा पलेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत अनियमितताएं:  
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री अनुराग मश्रा	डप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-प्रथम, वाणज्य कर, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र